संख्या-9/2015/400 ई-2/तेरह-2015-88/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 24 फरवरी,2015

विषय:- कनौरिया चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-80/दस-शीरा-निधि/53/कनौरिया चीनी मिल, दिनांक 18 नवम्बर,2014 तथा पत्र संख्या-जी-82/दस-शीरा-निधि/53/कनौरिया चीनी मिल, दिनांक 21 नवम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-33/2402 ई-2/तेरह-2014-88/2014टीसी, दिनांक 27 नवम्बर,2014 द्वारा मेसर्स कनौरिया चीनी मिल में शीरा वर्ष 2013-14 में उत्पादित/उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण न लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण तथा शीरा सत्र 2014-15 में उक्त चीनी मिल में अविलम्ब उत्पादन प्रारम्भ कराने के उद्देश्य से मिल में संचित आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्री सेल में विक्रय कर निस्तारण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि शीरा नीति 2013-14 के प्रस्तर-17 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति के समक्ष समग्र स्थिति विचारार्थ प्रस्तुत कर उनकी कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी।

3- वर्ष 2013-14 के लिये शासनादेश संख्या-5/1578 ई-2/तेरह-2014-129/2013, दिनांक 14 अगस्त,2014 द्वारा निर्गत की गई शीरा नीति के प्रस्तर-2(17) में निहित व्यवस्था के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की दिनांक 30-12-2014 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा समिति द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर,2014 द्वारा प्रदान की गई अनुमति पर कार्योत्तर अनुमोदन की संस्तुति की गई। समिति की संस्तुति के आलोक में शासनादेश संख्या-33/2402 ई-2/तेरह-2014-88/2014टीसी, दिनांक 27 नवम्बर,2014 द्वारा निर्गत की गई अनुमति की कार्योत्तर स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra